

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944 242400 फ़ैस- 05944 243316

पत्रांक- 1510 / कर कक्ष / 2022-23 P.B

दिनांक- 23/8/22


ई-निविदा सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा निम्नलिखित निविदाये आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष / अनुभाग
1.	होर्डिंग / यूनिपोल विज्ञापन शुल्क वसूली	दि० 24. 8. 22 के 11:00 AM से दि० 8. 9. 22 के 11:30 AM तक	दि० 8. 9. 22 के 12:00 PM	कक्ष सं० 12
2.	डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) लगाये जाने हेतु निविदा	दि० 24. 8. 22 के 11:00 AM से दि० 8. 9. 22 के 11:30 AM तक	दि० 8. 9. 22 के 12:00 PM	कक्ष सं० 12

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्त नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती है।


नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


महापाल
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944 242400 फ़ैस- 05944 243316

पत्रांक- 1570/1, 1570/7 / कर कक्ष / 2022-23 P.B

दिनांक- 23.8.22

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक ~~अमर-उजाला~~ एवं ~~दैनिक जागरण~~ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 24. 8. 22 के अंक में न्यूनतम दर्शों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना निविदा शर्त उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमटी के समक्ष टेण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

**उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली)
नियमावली 2015 के अनुपालन में यूनिपोल/होर्डिंग लगाने हेतु ई-निविदा (2022-24) की शर्तें
एवं प्रावधान:-**

1. विज्ञापन पट्ट होर्डिंग/यूनिपोल लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यदेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि 1,22,10,000.00/- (₹0 एक करोड़ बाईस लाख पंद्रह हजार मात्र) 02 वर्ष तक के लिये निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को कार्यदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के समय-समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में घातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी यूनिपोल/होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में यूनिपोल/होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है एवं किन्हीं 05 वर्षों में से (वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) किन्हीं 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का टने आवर ₹0 2,00,00,000.00 (₹0 दो करोड़ मात्र) का आयकर रिटर्न सलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुद-बुद्ध नहीं किया गया है, ई-निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रामाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (12,21,000.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में सलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03-दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (M2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।
9. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10. यूनिपोल/होर्डिंग हाईटेन्शन लाईन से उचित दूरी पर लगाये जायेंगे, इससे सम्बन्धित सुरक्षा का दायित्व निविदादाता/फर्म का होगा। इस सन्दर्भ में विद्युत विभाग के नियमों का पालन करना होगा।
11. यूनिपोल/होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/देकदार उत्तरदायी होगा।
12. यूनिपोल का अधिकतम साईज 6.0मी0X3.0मी0 से अधिक हो और इसका तल आधार मूलतः से ऊपर 2.5 मी0 से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार कम करना होगा। यूनिपोल चिन्हित किये गये स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। "निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है"।
14. यूनिपोल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले ना हो एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
16. निविदादाता द्वारा निगम हेतु 04 यूनिपोल एवं 04 होर्डिंग आरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर निगम को विज्ञापन लगाये जाने हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राधिकारों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहाँ अपील की जा सकती है।
18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
19. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात् ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
20. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी निगम/जिला प्रशासन/गाठ न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
21. प्रत्येक यूनिपोल/होर्डिंग में 01 यूनिक कोड सख्या अंकित करना अनिवार्य होगा जो कि 01 से अन्तिम सख्या तक लिखा जायेगा। अन्य स्थानों पर एवं अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु नगर आयुक्त, द्वारा पृथक से अनुमति दी जायेगी, तथा शुल्क नगर निगम, द्वारा लिया जायेगा।
22. यूनिपोल/होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।
23. निविदादाता को अपने आवंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉलपेंटिंग, बिजली के खम्भों पर लगे अश्लील पोस्टर व छतों पर लगे अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध स्वयं कार्यवाही करनी होगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत रूप से विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र होगा।
24. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

25. सभी यूनिपोल/होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिकांसी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।
26. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होंगे, और 02 फीट से अधिक नहीं होंगे।
27. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी० से अधिक नहीं होगी।
28. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे दृष्टि उत्पन्न हो या बालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चलन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
29. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ मली-भाति मरम्मत किये जाये, जो कि ढोँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होंगी, तथा उन पर मोर्चा लगाने से रोकने के लिये रंग-रोगन किया जायेगा।
30. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा घेरे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।
31. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिमित्त किये जायेंगे।
32. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी०पी०पी० मोड में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
33. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सभ्यता विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहित प्रावधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
34. यदि प्रस्तावित विन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल विन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
35. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
36. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में ई-निविदा की शर्त अनुबन्ध का भाग होगी तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में ₹० 5,000/- दूसरी बार में ₹० 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करती हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।
37. **स्क्रैप की नीलामी**- नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, शार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढोँचा आदि को वहाँ वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खंडूजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि-

- (क) निविदा दरें निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशुद्ध, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु

अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मद्योन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्दिष्ट हो,

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

नोट- प्रथम चरण में निम्नलिखित चिन्हित स्थलों हेतु हॉर्डिंग/यूनिपोल की निविदा आमंत्रित की जा रही है। तथा द्वितीय चरण में नये चिन्हित प्रत्येक स्थलों हेतु अलग-अलग आवेदन प्राप्त कर निविदा निकाली जायेगी।

यूनिपोल हेतु चयनित स्थल

क्र. सं.	2020-22 हेतु चयनित स्थल	संख्या	साइज (sq.ft.)
A	काशीपुर बाईपास रोड पर (गाबा चौक से डी0डी0 चौक तक)		
1.	गाबा चौक, धर्मकोटे के पास	01	20x10
2.	रुद्रा होटल इण्डन गैस एजेंसी के सामने डिवाइडर पर (एस0बी0आई0 के सामने)।	01	20x10
3.	रुद्रा होटल के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
4.	वैष्णो द्वार के निकट डिवाइडर पर (नीलकमल फर्निचर के सामने)।	01	20x10
5.	सुविधा होटल के सामने डिवाइडर पर (कार क्रज के सामने)।	01	20x10
6.	गुरुनानक इण्टर कॉलेज के पास बालाजी गेट के सामने डिवाइडर पर (आर्य कन्या इण्टर कॉलेज के सामने)।	01	20x10
7.	खुराना एजेंसी के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
8.	होटल मिड टाउन के सामने डिवाइडर पर	01	20x10
9.	होटल अम्बर के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
10.	भारत ट्रेडिंग कारपोरेशन के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
11.	मटके वाली गली के सामने डिवाइडर पर (सोनू टेलीकॉम के सामने)।	01	20x10
12.	दुर्गा मन्दिर गली के सामने डिवाइडर पर (एच0पी0 इण्टर प्राइजेज के सामने)।	01	20x10



13.	अग्रसेन चौक ब्लॉक बेरी शोरूम के सामने डिवाइडर पर (अल्मोडा अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक के सामने)।	01	20x10
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सामने (डी0डी0 चौक के निकट सी0पी0यू0 चौकी के सामने)।	01	20x10
B	किच्छा बाईपास रोड पर (डी0डी0 चौक से तीनपानी मोड़)।		
1.	झील के पास (कल्याणी नदी पुल के दाहिने छोर पर)।	01	20x10
2.	शिवनगर ट्राजिट कैम्प मोड़ के पास।	01	20x10
3.	पुरानी तहसील के सामने (सत दया सिंह द्वार के निकट)।	01	20x10
C	काशीपुर-किच्छा मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	चीमा अस्पताल से पहले	01	20x10
2.	इम्पीरियल ग्रीन्स कालोनी के गेट के दाहिने एवं बाएँ छोर पर।	02	20x10
3.	मण्डौ समिति गेट से पहले (भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने)।	01	20x10
4.	अग्निहोत्री इन्डियोरिंग के गेट के बगल में।	01	20x10
5.	कं0एल0ए0 राइस मिल के सामने।	01	20x10
6.	विपिन राइस मिल के सामने (दुधिया बाबा मंदिर के सामने पहाड़गंज प्रवेश मार्ग पर)।	01	20x10
7.	गल्ला मण्डौ प्रवेश द्वार डिवाइडर पर। (गौरव ट्रेडिंग कम्पनी के सामने)।	01	20x10
8.	मेडिसिटी के सामने नाले से सलग्न भूमि।	01	20x10
9.	दुधिया राउण्ड में ट्रामल मशीन के बराबर में।	01	20x10
10.	इन्द्रा चौक के निकट नाले से सलग्न भूतबगला रोड पर।	01	20x10
D	मैनीताल रोड पर (NH-87)		
1.	दिल्ली रामपुर रोड पर ट्रेनिंग सेन्टर मोड़ पर।	01	20x10
2.	दिल्ली रामपुर रोड पर डाइट संस्थान गेट के पास।	01	20x10
3.	मैट्रोपोलिस से बिग बाजार तक।	06	20x10
4.	मैट्रोपोलिस-ओमेक्स रोड डिवाइडर पर।	05	20x10
5.	सिडकुल गेट नं0 02 के सामने।	02	20x10
6.	मटकोटा फार्म से सलग्न भूमि पर।	05	20x10
7.	प्रीत विहार मार्ग के सामने हाईवे के दूसरी तरफ।	01	20x10
8.	पुलिस लाइन से सलग्न पेट्रोल पम्प से कलैक्ट्रेट होते हुए मैट्रोपोलिस मॉल के सामने तक।	07	20x10
9.	सिडकुल गेट नं0 01 (पाले चौक के सामने रोड के पास)।	02	20x10
10.	हल्दानी मोड़ से टाटा मोटर्स के गेट तक (हल्दी रोड)।	03	20x10
E	छत्तरपुर मोड़ से अशोक लिलैण्ड तक डिवाइडर पर (दिनेशपुर रोड)।	03	

F	सिविल लाइन्स, डी.डी.1		
1.	नैनीताल रोड से सिविल लाइन्स प्रवेश द्वार डिवाइडर पर।	01	20x10
2.	बी.मार्ट.शोरूम के सामने डिवाइडर पर	01	20x10
3.	सन सिटी प्लाजा के सामने डिवाइडर पर।	01	20x10
4.	बसल ज्वैलर्स के सामने अग्रसेन चौक से आगे डिवाइडर पर।	01	20x10
G	अग्रसेन चौक से गांधी पार्क के सामने से होकर बाटा चौक रोड पर		
1.	बाटा चौक के निकट अम्बेडकर पार्क के पास।	01	20x10
2.	रूद्रा फोटो स्टेट/श्री मारुति कारियर के सामने ट्रासफार्मर के निकट।	01	20x10
3.	अग्रसेन चौक गांधी पार्क के दक्षिणी छोर पर (जनता इलेक्ट्रीकल/एच0डी0एफ0सी0 ए0टी0एम0 के सामने डिवाइडर पर)।	01	20x10
	कुल योग	71	


होर्डिंग हेतु चयनित स्थल


क्र.सं.	होर्डिंग स्थल	संख्या	साइज (sq.ft.)
A	किष्का-काशीपुर बाईपास रोड पर		
1.	फायर स्टेशन से गैस गोदाम तक।	05	20x10
2.	पुरानी तहसील के बाहर।	02	20x10
3.	शिवनगर मोड़।	03	20x10
4.	पुरानी तहसील से तीन पानी मोड़ तक।	08	20x10
B	काशीपुर-किष्का मुख्य मार्ग (NH-74)		
1.	इन्द्रा चौक एस.बी.आई	06	20x10
2.	काशीपुर मेन रोड बिजली घर से नवोदय विद्यालय तक	02	20x10
C	नैनीताल रोड पर (NH-87)		
1.	कचन तारा होटल रोड मोड़ शिशु मन्दिर के पास	01	20x10
2.	अंगद देव कॉम्प्लेक्स सिविल लाइन	04	20x10
3.	पी0एच0सी0 गेट न0 01 से नगर निगम, रूद्रपुर स्वागत द्वार तक	10	20x10
4.	अटरिया रोड पर नाले से लगी भूमि पर	05	20x10
5.	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस मोड़ के पास	04	20x10
6.	नैनीताल रोड पर मेट्रोपोलिस से बिग बाजार तक	05	20x10
7.	नैनीताल रोड पर बिग बाजार के सामने पूर्व दिशा में	10	20x10

8.	मेट्रोपोलिस कालोनी गेट नं० 03 के सामने	04	20x10
9.	ओमेक्स कालोनी गेट के सामने	04	20x10
10.	सिडकुल गेट नं० 01 के पास	02	20x10
11.	सिडकुल चौकी सहायता केन्द्र से महादेव मन्दिर	02	20x10
12.	सिडकुल गेट नं० 02 के पास	02	20x10
D	छत्तरपुर मोड टी-पाइन्ट के पास	02	20x10
	कुल योग	81	


विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-


S. No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	24-08-22	11.00 AM
2	Documents download start date	24-08-22	11.00 AM
3	Bid submission start date	24-08-22	11.00 AM
4	Pre Bid Conference Date		12.30 PM
5	Bid submission End date	02-09-22	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	08-09-22	11.30 AM
7	Bid Opening Date	08-09-22	12.00 PM



(निशा दूबे)
कर एवं राजस्व मौहरीर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


(जुबक मोहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


(विशाल मिश्रा)
IAS
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर


(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर